पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,जिलाहनुमानगढ़

पीठासीनअधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 174 / 2024

अनवान :

1. अमृतपाल कौर पत्नी जगविन्द्रसिंह जाति जटसिख निवासी 14 एस.एल.डबल्यू हाल गुरूसर सैनेवाला तहसील व जिला बठिण्डा पंजाब।

वादीया

बनाम

1. तहसीलदार राजस्व टिब्बी

प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा
88 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थितिः–1 अधिवकता श्री महावीर प्रसाद वर्मा :–वादीया
2 राजपैरोकार

डिक्री दिनांक 4/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष
वकील वादीया श्री महावीर प्रसाद वर्मा व राजपैरोकार अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने
पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण
वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चकनं0 14 एस.
एल.डबल्यू जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 38/36 में अंकित वादीया का नाम
जसमीत कौर के स्थान पर नाम दुरूस्त कर अमृतपाल कौर पत्नी जगविन्द्रसिंह नाम दर्ज
किया जावे। अगर प्रार्थी पर कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है या कोई सरकारी देय
बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कियदि
कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन
नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना
अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/12/24....... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी
की गई।

(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी

Scanned with CamScanner